



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11102023-249305
CG-DL-W-11102023-249305

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2023, शनिवार/आश्विन 9—आश्विन 15, 1945
No. 38] NEW DELHI, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2023, SATURDAY/ASVINA 9—ASVINA 15, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ख' के योद्धक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (विद्युत और यांत्रिक), सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) और नायब सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (विद्युत और यांत्रिक), सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) और नायब सूबेदार (विद्युत और यांत्रिक) समूह 'ख' योद्धक पद, भर्ती नियम 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. लागू— ये नियम, इन नियमों के साथ उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Principal Accountant General or Accountant General — Chairperson;</p> <p>(2) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General or equivalent — Member; and</p> <p>(3) Director or Deputy Director or equivalent — Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A-12018/04/2020-EG]

RAM GOPAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्र कार्यालयों में ज्येष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएँ- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह करने की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू तत्काल प्रवृत्त विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखाकार ।	2651*(2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित्रीय ।	स्तर -6, (35400-112400 रु.) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जानेवाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।

(11)

प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ऐसे लेखाकार जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो तथा लेखाकार के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतरश्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जिनके पास किसी सरकारी संगठन में लेखा या लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो ।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासनिक समूह का भारसाधक उप निदेशक - अध्यक्ष; (2) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप निदेशक - सदस्य; और (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे: (1) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासनिक समूह का भारसाधक उप निदेशक - अध्यक्ष; (2) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप निदेशक - सदस्य; और (3) ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/08/2012-ईजी (पार्ट) (खंड-1)]

राम गोपाल, उप सचिव

New Delhi, the 27th September, 2023

G.S.R.132.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accountant) Recruitment Rules 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accountant in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accountant) Recruitment Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**- No person,-
a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the law, for the time being in force, applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Accountant.	2651 *(2023) * Subject to the variation depending on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion: Accountants in level 5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix with six years regular service in the grade and who have passed the Departmental Examination for Accountants.</p> <p>Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers from the Central or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered in the grade after appointment thereto on regular basis in posts in level 5 (Rs. 29200- 92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing two years experience in the field of Accounting or Auditing in a Government Organisation.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <p>(1) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of administration group- Chairman;</p> <p>(2) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director-Member; and</p> <p>(3) Senior Accounts Officer - Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <p>(1) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of administration group - Chairman;</p> <p>(2) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director - Member; and</p> <p>(3) Senior Accounts Officer - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No A-12018/08/2012-EG (Pt.) (Vol. I)]

RAM GOPAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) भर्ती नियम, 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिनियम से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्र कार्यालयों में ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा परीक्षक) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हताएँ- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू तत्समय प्रवृत्त के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ लेखा परीक्षक।	3847* (2023) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	स्तर - 6, (35400-112400रु.)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) में ऐसे लेखा परीक्षक जिन्होंने उस श्रेणी में छ: वर्ष नियमित सेवा की हो तथा लेखा परीक्षक के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
 (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 (ख) जिनके पास किसी सरकारी संगठन में लेखा या लेखा परीक्षा के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव हो।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
(1) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासनिक समूह का भारसाधक उप निदेशक — अध्यक्ष;	
(2) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप निदेशक — सदस्य; और	
(3) ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी — सदस्य।	
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे:	
(1) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या प्रशासनिक समूह का भारसाधक उप निदेशक — अध्यक्ष;	
(2) ज्येष्ठ उप-महालेखाकार या निदेशक या उप-महालेखाकार या उप निदेशक — सदस्य; और	
(3) ज्येष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी — सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/08/2012-ईजी (पार्ट) (खंड-1)]

राम गोपाल, उप सचिव

New Delhi, the 27th September, 2023

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules 1985, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Auditor in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Senior Auditor) Recruitment Rules, 2023.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications.**- No person,-
 - a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the law, for the time being in force, applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Senior Auditor.	3847* (2023) * Subject to the variation depending on work load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted. Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400-112400).	Selection post.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
<p>Promotion: Auditor in level 5 (Rs. 29200-92300) of the pay matrix with six years regular service in the grade and who have passed the Departmental Examination for Auditors.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by</p>

more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation Officers from the Central or State Government or Union territories:

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
(ii) with six years service rendered in the grade after appointment thereto on regular basis in posts in level 5 (Rs. 29200- 92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
(b) possessing two years experience in the field of Accounting or Auditing in a Government Organisation.

Note 1: The departmental officers in the feeder cadre who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation or absorption shall not exceed fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:</p> <p>(1) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of administration group - Chairman;</p> <p>(2) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director - Member; and</p> <p>(3) Senior Audit Officer -Member.</p> <p>Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:</p> <p>(1) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director in-charge of administration group - Chairman;</p> <p>(2) Senior Deputy Accountant General or Director or Deputy Accountant General or Deputy Director - Member; and</p> <p>(3) Senior Audit Officer - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No A-12018/08/2012-EG (Pt.) (Vol. I)]

RAM GOPAL, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

सा.का.नि.134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण (समूह 'ग' अनुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 है।